नव भारत, भोपाल
22 JUN 2011

परिवहन चौकियां

शासकीय चौकियां- यह नाम ही बहुत बदनाम है. इन्हें खुली रिश्वत व रुकावटों के लिए ही जाना जाता है. लेकिन इस बदनाम व्यवस्था में भी मध्यप्रदेश सरकार ने नेकनामी का नाम कमाया है. भारत सरकार के योजना आयोग ने सीमावर्ती परिवहन जांच चौकियों के आधुनिकीकरण की 1150 करोड़ रुपये की परियोजना की प्रशंसा करते हुए इसे अभिनव कदम करार दिया है. दूसरे राज्यों से इसका अनुसरण करने को कहा है.

चौकियां भी कई तरह की होती हैं जो ज्यादातर राज्यों की दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा पर शुल्क वसूली व जांच-पड़ताल के लिए होती हैं. यदि कभी राज्य से खाद्यान्न को दूसरे राज्यों में भेजने पर प्रतिबंध लगे तो उसे रोकने के लिये चौकियां बनाई जाती हैं. आबकारी व ट्रान्सपोर्ट की भी चौकियां होती हैं, लेकिन इनके बारे में यह कहा जाता है जिस भी वस्तु के आने-जाने पर प्रतिबंध होता है उसी को रिश्वत लेकर आने-जाने दिया जाता है. ऐसी चौकियों पर अपनी नियुक्ति कराने के लिए कर्मचारी व अधिकारी भारी रिश्वत भी देते हैं, जो रिश्वत से वसूल भी हो जाती है. परिवहन चौकियों के बारे में रिश्वत देने के अलावा यह शिकायत भी रहती है कि वहां ट्रकों, बसों को बहुत रुकना पड़ता है.

लेकिन इस समय जिन 24 परिवहन चौकियों का आधुनिकीकरण किया है उससे राज्य की आमदनी में न सिर्फ 3 गुना अधिक वृद्धि हुई बल्कि अन्तरराज्यीय परिवहन भी सरल व सुगम हुआ है. इनमें पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत और इलेक्ट्रॉनिक तौल-कांटे लगाये गये हैं. इससे अन्तरराज्यीय ट्रकों का बार-बार रुकना भी कम हुआ है. वाहनों की लम्बी कतारें नहीं लगती हैं. सवारी बसों के लिए अलग दो मार्ग निर्धारित किये हैं जिससे उनमें गति आ गई है. बड़वानी जिले की बालसमुद चौकी पर जहां पहले प्रतिमाह 50 लाख रुपयों का राजस्व शासन को प्राप्त होता था, वहां अब आमदनी बढ़कर 3 करोड़ रुपये प्रतिमाह हो गई है. इन चौकियों को बो.ओ.टी. के आधार पर निजी निवेशकों द्वारा बनाया गया है. इन पर गोदाम, रेस्टोरेंट, ए.टी.एम., प्रशासकीय व आवासीय खंडों की व्यवस्था भी की गई है. मध्यप्रदेश में सीमावर्ती चौकियां अब सरल, सुगम व आदमनी की हो गई हैं.